

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2018 - 19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विकास शेट्टे  
 2. वर्तमान धारित पद प्रद्यान वैद्यानिक  
 3. वर्तमान वेतन ₹ 5,000/- (पंचाश) 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह जिसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजनकी की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सलौया, हुड्डर (ओडिशा)	—	एलॉट	31.75 लाख	स्वयं <u>पूर्णपति</u>	रक्तिदी गई	Nil	—
लोबड़िया कला, हुड्डर, ओडिशा	गृह भवन	—	64.50 लाख	—//—	—//—	Nil	—

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो तो वहाँ वर्तमायन रिथर्टि के सम्बन्ध में लगाया मूल्य बताया जाए।  
 उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी — मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्ये सदरम्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदरम्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर :

↑Shele

नाम : विकास शेट्टे

पद : प्रद्यान वैद्यानिक